शिल्पा शेट्टी व राज कुंद्रा के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज

मुंबई, प्रेट्र : स्वर्ण योजना में धोखाधड़ी के आरोप में बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी, उनके पति राज कुंद्रा और अन्य के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है।

पुलिस ने गुरुवार को बताया कि सचिन जोशी नामक अनिवासी भारतीय ने हाल में खार पुलिस के समक्ष शिकायत दर्ज कराई कि सतयुग गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी ने उनके साथ ठगी की है। पूर्व में इस कंपनी के प्रमुख शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा थे। शिकायत के मुताबिक, सचिन ने स्वर्ण योजना के तहत मार्च, 2014 में कंपनी से 18.58 लाख रुपये में करीब एक किलो सोना खरीदा था। पांच साल की योजना के तहत, खरीददार को डिस्काउंटेड रेट पर गोल्ड कार्ड दिया गया था। वादा किया गया था कि टर्म अवधि पूरी होने पर सोने की निश्चित मात्रा रिडीम की जा सकेगी। सचिन के टर्म प्लान की अवधि 25 मार्च, 2019 को पूरी हुई। जब उन्होंने गोल्ड कार्ड रिडीम करने की कोशिश की तो उन्हें पता चला कि कंपनी का बांद्रा कुर्ला कांप्लेक्स स्थित ऑफिस बंद हो चुका था। बाद में शिकायतकर्ता को पता चला कि कंपनी के निदेशक रहे शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा भी मई, 2016 और नवंबर, 2017 में पदों से इस्तीफा दे चुके थे। पुलिस ने बताया कि सचिन की शिकायत पर जांच की जा रही है, लेकिन एफआइआर दर्ज नहीं की है। इस मामले पर शिल्पा शेट्टी की प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी।

चंदा कोचर को झटका, बर्खास्तगी के खिलाफ याचिका खारिज

फैसला ▶ आइसीआइसीआइ बैंक की पूर्व एमडी व सीईओ हैं कोचर

कोर्ट ने मामले को निजी संस्था और अनुबंध के विवाद का विषय माना

चंदा कोचर। फाइल

मुंबई, प्रेट्र : निजी क्षेत्र के आइसीआइसीआइ बैंक की पूर्व प्रबंध निदेशक (एमडी) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) चंदा कोचर को बड़ा झटका लगा है। बांबे हाई कोर्ट ने गुरुवार को कोचर की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने बैंक से अपनी बर्खास्तगी को चुनौती दी थी।

जस्टिस एनएम जामदार और एमएस कार्णिक ने बैंक के तर्क को स्वीकार कर लिया। बैंक ने कहा था कि कोचर की याचिका इसलिए स्वीकार करने योग्य नहीं है, क्योंकि वह अनुबंध और निजी संस्था के विवाद का विषय है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, 'याचिकाकर्ता की बर्खास्तगी अनुबंध आधारित संबंधों का विषय है।' उसने कहा कि जब निजी प्रतिष्ठान में नियुक्ति अनुबंध पर आधारित हो तब कोर्ट अपने न्यायिक अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता।

पीठ ने आदेश में कहा कि भले ही कोई संस्था सार्वजनिक सेवा प्रदान करती हो और याचिका न्यायिक सीमा में आती हो तब भी उसके सभी निर्णय न्यायिक समीक्षा के विषय नहीं होंगे। कोर्ट ने इस बात पर भी गौर किया कि आइसीआइसीआइ एक निजी बैंक और इसका संचालक निदेशक मंडल करता है। इसे सरकार की तरफ से कोई आर्थिक सहायता भी नहीं मिलती।

इससे पहले बैंक के वकील दारियस खंबाटा ने कोर्ट में दलील दी थी कि संविधान के अनुच्छेद-226 के तहत ऐसे मामलों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। यह अनुच्छेद हाई कोर्ट को इस प्रकार के मामलों में दिशानिर्देश अथवा आदेश देने या रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है।

बैंक ने कोचर को कर दिया था बर्खास्त : देश के दूसरे सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बैंक ने चंदा कोचर को स्वैच्छिक इस्तीफे के कुछ महीनों बाद नौकरी से बर्खास्त कर दिया था। आइसीआइसीआइ बैंक के इस निर्णय को चुनौती देते हुए कोचर ने 30 नवंबर 2019 को हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। कोचर के वकील ने दलील दी कि बैंक ने उनके स्वैच्छिक इस्तीफे को पांच अक्टूबर 2018 को स्वीकार कर लिया था। इसलिए, बाद में उन्हें नौकरी से निकाला जाना अवैध है। कोचर ने याचिका में यह भी कहा था कि बैंक ने उनका वेतन और अप्रैल 2009 से मार्च 2018 के बीच मिले बोनस और शेयर विकल्पों को भी देने से मना कर दिया है। पति के फायदे के लिए वीडियोकॉन को कर्ज दिलाने का आरोप : चंदा कोचर पर आरोप है कि उन्होंने वीडियोकॉन समूह को अवैध तरीके से 3,250 करोड़ रुपये का कर्ज दिलाने में कथित भूमिका अदा की। इससे उनके पति दीपक कोचर को लाभ हुआ। मामला सामने आने पर कोचर को अपने पद से इस्तीफा भी देना पड़ा था।

जेट एयरवेज के संस्थापक पर मनी लांड्रिंग का मामला दर्ज

राज्य ब्यूरो, मुंबई

- मुंबई स्थित ठिकानों पर तलाशी अभियान के बाद ईडी की कार्रवाई
- बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय के अफसरों ने गोयल से की थी पूछताछ

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। केंद्रीय एजेंसी ने यह कार्रवाई बुधवार को दिनभर नरेश गोयल के मुंबई स्थित ठिकानों पर तलाशी अभियान के बाद की है।

प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के अनुसार, पिछले दिनों मुंबई पुलिस द्वारा नरेश गोयल के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी का संज्ञान लेते हुए केंद्रीय जांच एजेंसी ने उनके विरुद्ध पीएमएलए के तहत मामला दर्ज करने का निर्णय किया। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने बुधवार को गोयल के ठिकानों पर छापेमारी के साथ-साथ उनसे पूछताछ भी की थी। मुंबई पुलिस ने गोयल के खिलाफ प्राथमिकी मुंबई की ही एक ट्रैवल कंपनी के साथ नरेश गोयल द्वारा की गई धोखाधड़ी के मामले में दर्ज की थी। इससे पहले पिछले वर्ष सितंबर में गोयल से विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून (फेमा) के तहत भी पूछताछ की जा चुकी है।

प्रवर्तन निदेशालय का आरोप है कि नरेश गोयल की कुल 19 निजी कंपनियां थीं। इनमें से पांच विदेश में पंजीकृत हैं। प्रवर्तन निदेशालय उनकी इन्हीं कंपनियों के बीच संदिग्ध लेन-देन की जांच कर रहा है। निदेशालय को शक है कि इन कंपनियों के बड़े फर्जी खर्च दिखाकर नरेश गोयल ने कंपनी में जानबूझकर घाटे की स्थिति पैदा की ।

नरेश गोयल। फाइल

बता दें कि नरेश गोयल की जेट एयरवेज ने पिछले साल अप्रैल में अपनी उड़ानें बंद करने की घोषणा कर दी थी और करीब एक माह पहले उन्होंने जेट एयरवेज के चेयरमैन का पद भी छोड़ दिया था।

टिकटॉक ने की प्रतिबंध लगाने वाली याचिका खारिज करने की मांग

मुंबई, प्रेट्र : सोशल मीडिया एप टिकटॉक ने गुरुवार को बांबे हाई कोर्ट से उस पर प्रतिबंध लगाने वाली याचिका खारिज करने की मांग की है। मुंबई निवासी हीना दरवेश ने नवंबर 2019 में जनहित याचिका दाखिल कर दावा किया था कि टिकटॉक एप के कारण कई आपराधिक घटनाएं हुई हैं। लोग मौत का शिकार हो रहे हैं और यह युवाओं पर बुरा प्रभाव डाल रहा है। इसलिए, इस पर प्रतिबंध लगाया जाए।

वीडियो शेयरिंग एप की पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील मिलिंद सेठ ने कहा, 'सूचना प्रौद्योगिकी कानून की धारा 69-ए के तहत एक प्रक्रिया निर्धारित है। इसके अनुसार अगर व्यक्ति को किसी भी ऑनलाइन सामग्री से आपत्ति होती है तो वह नोडल अधिकारी से संपर्क कर उसे हटाने की मांग कर सकता है।'

जनमत
मुद्दा

क्या आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त होकर महिलाएं समाज में अपना मुकाम बनाने में सक्षम होंगी?

mudda@jagran.com पर आप अपनी राय हमें भेज सकते हैं।

दो दिन बरेली जेल में रहेंगे आजम

जागरण संवाददाता, रामपुर

- छह और सात मार्च को विशेष कोर्ट में होगी पेशी, इसके बाद सीतापुर जेल भेजा जाएगा

सांसद आजम खां अब दो दिन बरेली की जेल में रहेंगे। लगातार दो दिन उनकी रामपुर के एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में पेशी होगी। गुरुवार को कड़ी सुरक्षा के बीच सीतापुर से कोर्ट में लाए गए।

बेटे अब्दुल्ला के दो जन्म प्रमाणपत्र बनवाने के मामले में सपा सांसद आजम खां, उनकी पत्नी विधायक डॉ. तजीन फात्मा और बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ था। इसमें कोर्ट से वारंट जारी होने के बाद 26 फरवरी को रामपुर एमपी-एमएलए कोर्ट में तीनों ने आत्मसर्पण किया था। जिला प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से तीनों को सीतापुर जेल में शिफ्ट कर दिया है।

पहली बार सांसद, उनकी पत्नी और बेटे को पेश किया गया था। दूसरी बार सांसद और बेटे की पेशी हुई थी और गुरुवार को अकेले सांसद की पेशी हुई। सुरक्षा के मद्देनजर इनकी पेशी सीतापुर जेल से ही वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये कराने पर विचार किया जा रहा था, लेकिन आजम को गुरुवार को सीतापुर ले जाने के बजाय बरेली जेल में रोक दिया गया। पुलिस अधीक्षक शगुन गौतम ने बताया कि आजम की छह और सात मार्च को भी कोर्ट में पेशी है। सीतापुर से उन्हें लाने व ले जाने में दिक्कत हो रही है। इसके मद्देनजर डीआइजी जेल ने उन्हें छह और सात मार्च को अस्थायी रूप से बरेली जेल में रखने के आदेश दिए हैं। दो दिन लगातार पेशी के बाद सात मार्च को उन्हें सीतापुर जेल भेज दिया जाएगा।

जिला शासकीय अधिवक्ता अजय तिवारी ने बताया कि कोर्ट ने आदेश किया है कि विशेष परिस्थितियों में ही व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश किया जाएगा, नहीं तो वीडियो कांफ्रेंसिंग से ही पेशी हो जाएगी। उन्होंने बताया कि छह मार्च को शाहबाद थाने से संबधित आचार संहिता के मामले में तारीख है और सात मार्च को कस्टोडियन की जमीन के मामले में पुलिस रिमांड पर लेने के मामले पर सुनवाई होगी। जेल अधीक्षक यूपी मिश्रा के मुताबिक, आजम खां को जेल में रखने के लिए आदेश आए थे, उनका पालन किया गया है।

क्वालिटी बार मामले में तजीन और अब्दुल्ला की जमानत खारिज

रामपुर : क्वालिटी बार मामले में आजम खां की पत्नी विधायक डॉ. तजीन फात्मा और बेटे अब्दुल्ला की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है, जबकि हमसफर रिसोर्ट मामले में तीनों की ओर से अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की गई थी, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया है।

बंगाल के गांव में खोदाई में मिला कौड़ियों से भरा कलश

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : उत्तर बंगाल के कूचबिहार जिले के चमटा गांव में मकान के निर्माण के लिए हो रही खोदाई में कौड़ियों से भरा कलश मिला है। अनुमान है कि प्राचीन काल में इन कौड़ियों का मुद्रा के रूप में इस्तेमाल होता था। ये कौड़ियां किस काल की हैं, फिलहाल इसका पता नहीं चल पाया है। जिला प्रशासन भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआइ) को इस बाबत सूचित करेगा। गौरतलब है कि पिछले कुछ महीनों में यह तीसरा मौका है, जब जिले से पुरातत्व चीजें बरामद हुई हैं। इससे पहले दिनहाटा सब-डिवीजन के गोसानीमारी इलाके से धार्मिक अनुष्ठानों में इस्तेमाल होने वाले पुराने बर्तन और देवी-देवताओं की टूटी मूर्तियां बरामद हुई थीं। उससे पहले तूफानगंज थानांतर्गत फूलबाड़ी इलाके से कलात्मक चीजें एवं बर्तन बरामद हुए थे। इतिहासकारों की धारणा है कि ये चीजें उस काल की हो सकती हैं, जब इस अंचल को 'कामतापुर' के नाम से जाना जाता था और यहां कोच राजाओं का शासन था।

वोटर आइडी कार्ड में लगा दी श्वान की तस्वीर

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

बड़ी लापरवाही

- मुर्शिदाबाद के बुजुर्ग मतदाता ने वोटर आइडी कार्ड में संशोधन के लिए किया था आवेदन
- चुनाव आयोग की लापरवाही पर आवेदक ने कहा-मेरी गरिमा के साथ खिलवाड़

मतदाता पहचान पत्र (वोटर आइडी कार्ड) में गलत तस्वीर के बहुत से मामले देखे जाते हैं, लेकिन बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में चुनाव आयोग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां वोटर आइडी कार्ड में श्वान की तस्वीर लगा दी गई। मुर्शिदाबाद के एक बुजुर्ग मतदाता उस वक्त हक्के-बक्के रह गए, जब उन्होंने अपने संशोधित वोटर आइडी कार्ड में एक कुत्ते की तस्वीर लगी देखी। सुनील कर्मकार को बुधवार को दुलाल स्मृति स्कूल में बुलाकर कुत्ते की तस्वीर लगा वोटर आइडी कार्ड दिया गया तो वह गुस्से से आग बबूला हो गए। बाकी लोग भी यह देखकर हैरान रह गए। वोटर आइडी कार्ड में सारी जानकारियां तो सही थीं, लेकिन तस्वीर एक कुत्ते की लगी थी। सुनील ने इसे अपनी गरिमा के साथ खिलवाड़ बताया है। उन्होंने कहा-'मैंने अपने वोटर आइडी कार्ड में जन्मतिथि में सुधार के लिए आवेदन किया था। जब संशोधित कार्ड बनकर आया तो उसमें मेरी फोटो के बदले कुत्ते की फोटो लगी थी।' सुनील ने फरक्का के प्रखंड विकास अधिकारी (बीडीओ) राजर्षि चक्रवर्ती से इसकी शिकायत की है।

बीडीओ ने कहा कि मामला प्रकाश में आते ही उन्होंने इसकी जांच कराई है। पुराने कार्ड में संशोधन के दौरान यह गलती हुई है। इसमें जल्द ही सुधार कराकर आवेदक को अप्रैल में नया वोटर आइडी कार्ड दे दिया जाएगा, जिसमें किसी प्रकार की गलती नहीं होगी। जहां तक कुत्ते की फोटो का सवाल है तो संभवतः ऑनलाइन आवेदन भरते समय गलत फोटो अपलोड कर दिया गया होगा।

'चुनाव आयोग ने बना दिया मेरा मजाक'

इस बीच कुत्ते की तस्वीर लगे वोटर आइडी कार्ड को लेकर स्थानीय लोगों और दोस्तों ने सुनील का जमकर मजाक उड़ाया। उन्हें यह कहकर चिढ़ाया कि प्रशासन ने उन्हें कुत्ता बना दिया है। इससे व्यथित सुनील ने कहा कि चुनाव आयोग ने उनका मजाक बना दिया। उ

मानहानि का करेंगे मुकदमा

इस लापरवाही के लिए सुनील ने चुनाव आयोग के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि उनका वोटर आइडी कार्ड जारी करने से पहले जिस अधिकारी ने उस पर हस्ताक्षर किए थे, उन्होंने कार्ड की जांच किए बिना ही उसे जारी कर दिया। यह अधिकारियों की लापरवाही को उजागर करता है।

देश के 17 राज्यों में जल संकट चिंताजनक हालत में : डॉ. राजेंद्र

जागरण संवाददाता, करनाल

- जलपुरुष ने हरियाणा पुलिस अकादमी में लगाई अनूठी पाठशाला

जलपुरुष डॉ. राजेंद्र सिंह ने कहा कि कई देश जल संकट की गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। भारत में भी 17 राज्यों के 365 जिलों में हालात चिंताजनक हैं। हमने अपने पूर्वजों से सबक नहीं लिया, जो अनुशासन के साथ जल प्रबंधन करते थे।

जलपुरुष ने गुरुवार को यहां मधुबन स्थित हरियाणा पुलिस अकादमी में गुरुवार को अनूठी पाठशाला लगाई। देश-दुनिया में तेजी से गहराते जल संकट से निपटने में पुलिस की भूमिका को अहम करार देते हुए उन्होंने कभी कविता तो कभी पॉवर प्वाइंट प्रजेंटेशन के जरिए इस बाबत सचेत किया। उन्होंने बताया कि अलवर के गोपालपुरा गांव में युवा पलायन कर चुके थे। गांव के बुजुर्ग रतौंधी के शिकार थे। उनका आयुर्वेदिक पद्धति से उपचार किया। माणू मीना नामक बुजुर्ग की आंखें ठीक कीं तो उन्होंने बड़ा सबक दिया। बोले- कि अब आदमी का इलाज बंद कर दो, धरती का इलाज शुरू करो। दो दिन में मुझे उन्होंने यह अनूठा इलाज सिखा दिया। इसके लिए गहरे कुएं में उतरा और जाना कि कैसे पानी बचाकर धरती का वास्तविक संरक्षण संभव है। सबको साथ लेकर जो क्रांति शुरू की, वह आज दुनिया के लिए मिसाल है।

डॉ. राजेंद्र सिंह। फाइल

कविता में उकेरा बादलों का सफर : जलपुरुष ने इस दौरान दो कविताएं सुनाईं। एक कविता में उन्होंने उस स्थिति को उकेरा, जब रूठे बादलों के कारण उनके गांव में बारिश नहीं होती थी तो दूसरे में यह रेखांकित किया कि कड़ी मेहनत से लाई गई हरियाली से कैसे बादल झमाझम बरसे। उन्होंने कहा कि धरती तप रही है। उसे बुखार है, इसलिए हरियाली की ठंडी पट्टी से उसका उपचार करना होगा।

मिले अच्छे जवाब, नंबरों की बरसात : जलपुरुष ने पाठशाला के बाद अपने सामने मौजूद पुलिस के सैकड़ों जवानों की समझ का आकलन किया और उन्हें प्रोत्साहन स्वरूप अंक भी दिए। अकादमी के निदेशक योगेंद्र नेहरा ने डॉ. सिंह का अभिनंदन किया।

बांग्लादेश से आता है ड्रग्स बनाने का 'क्रूड', फिर होती है सप्लाई

जागरण पड़ताल

इनवेस्टीगेशन ब्यूरो, नई दिल्ली

- मणिपुरी गिरोह की लेते हैं मदद, फतेहगंज पश्चिमी और मीरगंज में केमिकल से तैयार होती है स्मैक
- झारखंड से भी आती है अफीम, पकड़े जा चुके हैं कई तस्कर
- उत्तराखंड, दिल्ली और पंजाब तक भेजी जाती है खेप
- 50 तस्कर एक साल में रेलवे जंक्शन पर पकड़े गए
- 05 प्रदेशों तक फैला है बरेली के तस्करों का रैकेट

ड्रग्स तस्करी का बड़ा अड्डा बन चुके उप्र के बरेली जिले में दूसरे देशों से कच्चा माल आता है। जिससे तैयार स्मैक उत्तराखंड, दिल्ली व पंजाब तक सप्लाई होती है। इसकी तस्दीक जीआरपी और एसटीएफ का रिकॉर्ड भी करता है। बरेली जंक्शन पर 2019 में 50 तस्कर पकड़े जा चुके हैं, जो दूसरे प्रदेश या जिलों से यहां मादक पदार्थ लेने आए या फिर कच्चा माल लेकर पहुंचे थे।

अफीम को चूने के पानी से फाड़कर सुखाने के बाद जो पाउडर बनाया जाता है, तस्कर उसे क्रूड कहते हैं। इसमें केमिकल मिलाकर स्मैक बनाई जाती है। क्रूड की सप्लाई पहले राजस्थान से होती थी, लेकिन पकी अफीम के क्रूड के दाम अधिक होने से तस्करों ने बांग्लादेशी क्रूड की खरीद शुरू कर दी है। इसके लिए मणिपुर के गिरोह की मदद लेते हैं। वे बांग्लादेश से क्रूड लेकर आते हैं और बरेली के तस्कर वहां पहुंचकर थोक कच्चा माल खरीदते हैं। इससे केमिकल मिलाकर स्मैक बनाई जाती है। केमिकल व पाउडर की मात्रा चार गुना होती है। यानी एक किलोग्राम क्रूड से करीब पांच किलोग्राम स्मैक तैयार की जाती है। फतेहगंज पश्चिमी व मीरगंज के अधिकतर तस्करों के लिए वहीं से कच्चा माल आता है। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के सदस्य भी यह बात स्वीकारते हैं।

नेपाल व झारखंड से भी सप्लाई : बरेली मंडल का जिला पीलीभीत नेपाल से सटा हुआ है। खुला बॉर्डर होने के कारण खूब आवाजाही होती है। तस्करों ने इसका जमकर फायदा उठाया। पांच साल पहले तक वहां से तस्करी होती थी। इस बीच सख्ती हुई तो नेपाल से अफीम कम आने लगी। ऐसे में तस्करों ने मणिपुर में अपना बेस बना लिया। झारखंड से भी सप्लाई होती है। इसकी वजह यह है कि वहां के तस्कर खुद कच्चा माल लेकर बरेली तक आ जाते हैं। साठ हजार रुपये प्रति किलोग्राम की दर से वहां अफीम खरीदते हैं, यहां जिसके दाम एक लाख रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से मिलते हैं। बांग्लादेश से क्रूड बना हुआ आता है जबकि झारखंड से अफीम आती है, जिससे पहले क्रूड बनाया जाता है और बाद में उसी से स्मैक।

राजधानी एक्सप्रेस में बैठकर आए थे तस्कर : 15 अक्टूबर 2015 में मणिपुर के भावल जिले का रहने वाला सैयद शोएब राजधानी एक्सप्रेस से बरेली आया था। यहां सेटेलाइट बस स्टैंड पर उसे शाहजहांपुर के गड़िया रंगीन निवासी जयनरायन गुप्ता को डिलीवरी देनी थी। एसटीएफ लखनऊ को भनक लगी तो वहां से आई टीम ने दोनों को पांच सौ ग्राम हेरोइन के साथ पकड़ लिया था। तब पता चला था कि मणिपुर का रैकेट यहां भी सक्रिय है।

अफीम तस्करी के आरोप में पकड़े गए मोहम्मद रफी (मध्य में) की फाइल फोटो। जागरण

फतेहगंज व मीरगंज के कई तस्कर जेल में हैं। दूसरे प्रदेश से आने वाले तस्करों पर भी कार्रवाई होती रहती है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जेल से निकलकर आने वालों की निगरानी लगातार कराई जाती रहे, ताकि वे ड्रग्स सप्लाई का जाल न फैला सकें।

-अविनाश चंद्र, एडीजी, बरेली

झारखंड व ओडिसा के तस्कर भी जुड़े : इसी साल तीन जनवरी को एसटीएफ ने झारखंड के थाना पथलगड़ा के गांव तितरिया निवासी धर्मपाल और अमराव महातुर निवासी ब्रह्मदेव को गिरफ्तार किया था। दोनों के पास से अफीम बरामद हुई, जिसे बरेली के तस्करों तक पहुंचाने के लिए एसी कोच में बैठकर आए थे। 12 जनवरी को रांची निवासी गोपाल मुंडा को तीन किलोग्राम अफीम के साथ पकड़ा गया था। 2018 में मई में ओडिसा के बलराम मांझी, उप्र स्थित मुजफ्फरनगर के रिजवान, इंतजार, कुतुब, राजू और रामपुर के सतीश को सवा क्विंटल गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया था।

उत्तराखंड के कॉलेजों में जा रही खेप : बांग्लादेश, नेपाल, झारखंड से आने वाली अफीम से यहां स्मैक बनाकर दिल्ली, उत्तराखंड व पंजाब भेजी जाती है। दिल्ली की तिहाड़ जेल में फतेहगंज पश्चिमी व मीरगंज के करीब दो दर्जन तस्कर बंद हैं। यहां रहने वाले कामरान, खुर्शीद, ताहिर सहित दर्जनों तस्कर देहरादून में गिरफ्तार हो चुके हैं जो यहां के बड़े तस्करों से स्मैक खरीदकर देहरादून के डिग्री कॉलेजों तक पहुंचाते थे।

ये भी पकड़े गए

06 दिसंबर 2019 : परमजीत सिंह व राजेश कुमार निवासी अरिया रोड, वार्ड दस, अमलोह, फतेहगढ़।

08 नवंबर 2019 : नेपाल निवासी चंपा, गोमती व किशोर को पकड़ा गया

17 नवंबर 2019 : झारखंड के खूंटी के गांव कुंदी बटोली निवासी लक्ष्मण मुंडे को गिरफ्तार किया गया

15 अगस्त 2019 : झारखंड निवासी धनंजय व उदय को पकड़ा गया।

देसी तकनीक

एआइ से लैस एरियल वाहन साबित होगा सुरक्षा एजेंसियों का पहरेदार, जीपीएस नैविगेशन प्रणाली को हैक कर उड़ान का रास्ता बदलता है, कुछ ही क्षणों में जमीन पर बलपूर्वक लैंड भी कराया जा सकता है

अवैध ड्रोन के पर कतरेगा आइआइटी मद्रास का ड्रोन

चेन्नई, एजेंसियां : आइआइटी मद्रास के अनुसंधानकर्ताओं ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस ड्रोन तैयार किया है, जो अवैध और घुसपैठिए ड्रोन को ठिकाने लगा सकता है। अनुसंधानकर्ताओं का कहना है कि यह मानवरहित हवाई यंत्र ना सिर्फ सुरक्षा एजेंसियों और कानून व्यवस्था को कायम रखने वाली एजेंसियों का बड़ा मददगार बन सकता है, बल्कि महत्वपूर्ण हवाई क्षेत्रों की निगरानी में सुरक्षा बलों की मदद भी कर सकता है। यह महत्वपूर्ण नागरिक और सैन्य प्रतिष्ठानों की निगरानी में भी बेहद कारगर होगा।

आइआइटी मद्रास के अनुसार उनके बनाए ड्रोन के जरिये घुसपैठिए और अवैध ड्रोन को मार गिराया जा सकता है। उन घुसपैठिये ड्रोन की जीपीएस नैविगेशन प्रणाली को हैक करके उनकी उड़ान के रास्ते को बदला जा सकता है और उन्हें सुरक्षित जमीन पर बलपूर्वक कुछ ही क्षणों में लैंड भी कराया जा सकता है। इस ड्रोन सिस्टम को आइआइटी मद्रास के बीटेक के अंतिम वर्ष के छात्र वासु गुप्ता और एयरोस्पेस विभाग में आरएएफटी लैब में बतौर प्रोजेक्ट एसोसिएट काम कर रहे रिषभ वशिष्ट ने तैयार किया है। उनका मौजूदा प्रोटोटाइप किसी भी वस्तु को देखकर पहचानने और उसे नियंत्रित कर गिराने में सक्षम है। यह इंटरनेट के जरिये उड़ान भरता है और बहुत सफाई से बिना किसी हलचल के लैंड करता है। उनका मकसद सुरक्षा एजेंसियों की जरूरतों के हिसाब से इसकी व्यापक रेंज तैयार करना है। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार अवैध और घुसपैठिये ड्रोन महत्वपूर्ण संस्थानों और अन्य संवेदनशील स्थानों के लिए बड़ा खतरा हैं।

आइआइटी मद्रास। फाइल

इंटरनेट से होता है नियंत्रित

आइआइटी मद्रास के अनुसंधानकर्ताओं का कहना है कि नए ड्रोन को इंटरनेट के जरिये नियंत्रित किया जा सकता है। सामान्य तौर पर ड्रोन जहां तक नजर जाए वाले फार्मूले पर ऑपरेट किए जाते हैं, लेकिन नया ड्रोन मौजूदा ड्रोन के मुकाबले स्वायत्त रूप से विचरण करता है। इंटरनेट के जरिये ड्रोन के संचालन से इस नन्हे व्हीकल के पूरे समूह की मदद से वाहनों, वस्तुओं और लोगों की निगरानी एक साथ की जा सकती है।

जीपीएस सेंसर से घातक ड्रोन काबू

एयरोस्पेस इंजीनियरिंग विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर रंजीत मोहन ने बताया कि इस ड्रोन के जीपीएस सेंसर लक्षित ड्रोन पर निशाना लगाकर फर्जी रेडियो ट्रांसमिशन को बंद कर चुके हैं। जबकि इस रेडियो स्टेशन के प्रसारण की क्षमता मौजूदा सैटेलाइट ट्रांसमिशन की पावर से ज्यादा थी। इसे ट्रैक करते हुए ड्रोन फर्जी जीपीएस पैकेट बना देता है जो गणितीय मॉडल पर आधारित हैं। वह ऐसा रिसीवर एंड पर समय में आनेवाले अंतर के जरिये करता है।

बाला साहेब पर अशोभनीय टिप्पणी मामले में विधायक संगीत सोम पर आरोप तय

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर

- 2008 में दर्ज हुआ था विधायक के खिलाफ मुकदमा

सभा के दौरान बाला साहेब ठाकरे के विरुद्ध अशोभनीय टिप्पणी करने संबंधी मुकदमे में कोर्ट ने गुरुवार को उप्र के सरधना के भाजपा विधायक संगीत सोम पर आरोप तय कर दिए। भड़काऊ वीडियो शेयर करने, समर्थकों सहित हथियारों का प्रदर्शन-जाम लगाने व अशोभनीय टिप्पणी सहित तीनों मामलों में अदालत 15 अप्रैल को सुनवाई करेगी।

विधायक संगीत सोम ने 13 अप्रैल, 2008 को खतौली की नई मंडी में सभा को संबोधित किया था। सभा के बाद इंदिरा कॉलोनी निवासी शिवसेना नेता ललित मोहन शर्मा ने खतौली थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि संगीत सोम ने शिवसेना व स्व. बाला साहेब ठाकरे के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी की थी। संगीत सोम के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ था। मुकदमे की सुनवाई मुजफ्फरनगर एडीजे-4 की कोर्ट में शुरू हुई। संगीत सोम गुरुवार को कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने उनके विरुद्ध आरोप तय किए।

उधर, 2013 में भड़काऊ वीडियो शेयर करने संबंधी मुकदमे में भी सुनवाई हुई। इस मामले में एसआइटी पहले ही एफआर लगा चुकी है, लेकिन मुकदमे के वादी की हत्या होने के कारण एफआर स्वीकार नहीं की गई। एडीजीसी सुभाष चंद सैनी ने बताया कि उक्त मामले में मुकदमे के वादी की मृत्यु संबंधी प्रमाण मंगाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 17 मार्च, 2009 को जाम लगाकर हथियारों का प्रदर्शन करने तथा टीएसआइ से मारपीट करने के मामले में भी एडीजे-4 कोर्ट में ही सुनवाई हुई।

संगीत सोम बोले-आइबी कर्मी के हत्यारोपित को गोली मार दी जाए : संगीत सोम ने कहा कि आइबी के सुरक्षा सहायक अंकित शर्मा के हत्यारोपितों को चौराहे पर खड़ा कर गोली मार देनी चाहिए।